

67.1-25

28.4.15

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.NO. _____ OF 2015

Surendra Yadav Petitioner

Versus

The State Bank of India and others.... Respondents

Subject :- M. V. ACT.

INDEX.

SL.NO.	PARTICULARS.	PAGES
1.	Synopsis.	1 to iii
2.	Petition Under Article 226 of the Constitution of India.	1 to 14
3.	Annexure-1: A true copy of order dated 1.3.2014. - - - - -	15
4.	Annexure-2: A true copy of petition dated 6.12.2014. - - - - -	16
5.	Annexure-3: A true copy of petition dated 20.2.2015. - - - - -	17
6.	Annexure-4: A true copy of petition dated 2.3.2015. - - - - -	18
7.	Annexure-5: A true copy of order dated 2.3.2015. - - - - -	19

(dd)

SL.NO.	PARTICULARS.	PAGES
8.	Annexure-6: A true copy of order dated 10.3.2015.	20
9.	Annexure-7: True copy of order dated 27.3.2015. and Letter dated 27.3.2015.	21-22
10.	Annexure-8: A true copy of order dated 9.4.2015.	23
11.	Annexure-9: A true copy of representation dated 9.4.2015.	24-25
12.	Annexure-10: A true copy of petition dated 6.4.2015.	26
13.	Vakalatnama of the petitioner.	

-/0/-

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.NO. _____ OF 2015.

Surendra Yadav Petitioner.

Versus

The State Bank of India and others... Respondents.

-: SYNOPSIS :-

This is an application for direction to Respondent to release Truck No. BR-11 N-9540 and to drop Certificate proceeding against petitioner.

2011
PARA- 3

Petitioner applied before Bank for loan for purchasing Truck.

18.11.2011
PARA- 3

Bank has sanctioned Rs.15 Lac.

PARA- 5

Petitioner deposited Rs.5,75,000/- as Security money.

PARA- 5

Petitioner purchased Truck and running the same.

PARA- 6

Petitioner has been depositing Rs.12,55,265.00 upto 17.2.2014.

PARA- 7

Petitioner's Truck is met with accident and his wife was suffered from illness. In this circumstances petitioner

(11)

Could not deposit instalment.

- PARA-8 Petitioner and how after repairing started his Truck.
- 1.3.2014
Ann-1. Certificate proceeding has been started.
- 18.9.2014
PARA-8 Petitioner's Truck has been seixed without any
seizure list by the Bank.
- 6.12.2014
Ann-2 Petitioner filed petition before Lok Adalat.
- 20.2.2015
Ann-3 Petitioner appeared before Certificate Officer
and filed petition.
- 2.3.2015
PARA-13 Petitioner filed objection.
- 2.3.2015
Ann-4 Petitioner filed petition for depositing Rs.Two Lacs.
- 10.3.2015
Ann-6 Certificate officer allowed the petition to
deposit Rs.two lac.
- 27.3.2015
Ann-7 Certificate Officer directed the Bank to appear
for hearing.
- 9.4.2015
Ann-8 Certificate officer directed the Bank to comply the
order.
- 6.4.2015
Ann-10 Petitioner gave petition before Officer-in-Charge,
Belari Police Station.

(iii)

9.04.2015
Ann-9

Petitioner gave a petition before District Magistrate,

Madhepura but no response.

Hence this Writ application.

.....

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & STAMP DEPT.
PATNA SCOUR PATNA
COURT FEE

Authorization No. 2674



STAMP DUTY

00000

Rs. ≈ 0000285 ≈

375448

INDIA

Zero*Zero*Zero*Zero*Two*EightFive

बिहार
JUDICIAL

28. 4. 2015

BIHAR

8547 6787303

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No. _____ of 2015.

In the matter of an
application Under Article
226 of the Constitution of
India.

And

In the matter of :-
Surendra Yadav Son of Jattu Yadav, Resident of
Village-Doharwari, Post Office and Police Station-
Udakishunganj, District- Madhepura.

..... Petitioner

Versus

1. The State Bank of India through its Regional
Manager, Patna.

2. Branch Manager, State Bank of India, A.M.Y.,
Behariganj, Branch, Behariganj, District-Madhepura.
3. The State of Bihar through its District Magistrate,
Madhepura.
4. District Magistrate, Madhepura.
5. District Certificate Officer, Madhepura.
6. Officer-in-Charge, Behariganj, Police Station
District-Madhepura.
7. Superintendent of Police, Madhepura.

..... Respondents.

To,

The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy,
the Chief Justice of the High Court of
Judicature at Patna and his Companion
Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on
behalf of the petitioner
abovenamed;

Most Respectfully Sheweth :-

1. That this is an application for issuance of appropriate writ in the nature of Mandamus direction to the Respondent authority concerned to release the Truck No .B.R.11.N- 9540 in favour of the petitioner at once and for direction to the Respondent authority concern to drop the Certificate Case No. 01 of 2013-14 initiated against the petitioner and any other appropriate writ, order save and except in accordance with law.
2. That the petitioner is the citizen of India and lives within territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.
3. That the petitioner applied for bank loan before Respondent No. 2 in the year 2011 for purchasing a new Truck. Respondent No. 2 sanctioned loan of Rs.15 lacs on 8.11.2011 to the petitioner.
4. That the petitioner deposited amount Rs.5,75,000/- in Bank bearing Account No.32085990749

of Respondent No.2 as security money.

5. That the petitioner purchased Truck No.B.R.11 N-9540 after taking loan from Respondent No.2 Bank and has been running the aforesaid Truck regularly.

6. That the petitioner had been depositing instalment amount regularly in the Bank against Truck loan. Petitioner deposited total amount Rs.12,55,265.00 up to 17.2.2014 in the Bank.

7. That then all of sudden the petitioner's Truck met with an accident as well as petitioner's wife suffered from serious disease. The petitioner got treated his wife and he also got repair the truck and in this circumstances the petitioner could not deposit instalment amount till six months.

8. That the petitioner any how started running of Truck, then on 18.9.2014 Respondent No.2

alongwith bad elements seized the petitioner's truck and kept the truck at the house of Guddi Singh and Bablu Singh and subsequently Respondent No.2 handed over the Truck to Officer-in-charge, Belari Police Station and petitioner's truck is still kept in the campus of Belari Police Station. It is stated that the Respondent No. 2 has not given copy of seizure list to the petitioner.

9. That the petitioner several times requested the Respondent No. 2 to receive instalment amount and to release the Truck but Respondent No. 2 refused to receive instalment money and to release the Truck and demanded illegal money of Rs.Two Lacs from the petitioner which petitioner refused.

10. That in the month of February 2015 the petitioner received Notice of P.D.R.Act from Certificate Office, then petitioner went to Certificate Office and came to know that Respondent No. 2 filed a Certificate

Case No.01 of 2013-14 before Certificate Officer,
Madhepura claiming amount of Rs.15,68,232.96 against
petitioner and the certificate Officer initiated Cer-
tificate proceeding on 1.3.2014 and directed to issue
notice Under Section 7 of P.D.R. Act.

A true copy of order dated
1.3.2014 is annexed here-
with and marked as Annexure-
'1' to this application.

11. That it is submitted that the petitioner
also filed a petition before Lok Adalat on 6.12.2014
requesting that he is ready to deposit one Lac at a time
and further requested to direct the Bank to release the
Truck but nothing done.

A true copy of petition
dated 6.12.2014 is annexed
herewith and marked as

Annexure-2 to this application.

12. That the petitioner appeared before District Certificate Officer, Madhepura gave a petition dated 20.2.2015 requesting to direct the Bank to release the Truck but no step has been taken.

A true copy of petition dated 20.2.2015 is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this application.

13. That the petitioner also filed objection through his Advocate on 2.3.2015 requesting to release his Truck.

14. That the petitioner also requested before Certificate Officer on 2.3.2015 that he may be given permission to deposit Rs. Two Lacs and he further requested to release the Truck.

A true copy of petition dated 2.3.2015 is annexed herewith and marked as Annexure-' 4' to this application.

15. That the Certificate Officer vide order dated 2.3.2015 directed the Bank to give reply as per petition given by the petitioner.

A true copy of order dated 2.3.2015 is annexed herewith and marked as Annexure-' 5' to this application.

16. That on 10.3.2015 the date was fixed and on that day the Bank has accepted the proposal that if the petitioner deposit Rs. Two Lacs he is ready to release the Truck and on this contention the Certificate Officer vide order dated 10.3.2015 allowed the petitioner to deposit amount and inform the court.

A true copy of order dated
10.3.2015 is annexed here-
with and marked as Annexure
'6' to this application.

17. That the petitioner deposited Rs.Two
Lac in the Respondent Bank on 12.3.2015 and submitted
receipt of the same before Certificate Officer.
18. That the petitioner also requested the
Bank to release his Truck but nothing done.
19. That on 27.3.2015 the date was fixed
for hearing and on the date petitioner appeared but
the Bank did not appear.
20. That the Certificate Officer vide order
dated 27.3.2015 directed the Bank to appear and to
give his contention. The certificate Officer also sent
a Letter dated 27.3.2015 to Respondent No.2 that what
step has been taken regarding release of Truck.

A true copy of the order dated 27.3.2015 and Letter dated 27.3.2015 is annexed herewith and marked as Annexure-' 7' Series to this application.

21. That on 9.4.2015 the date was fixed before Certificate Officer, in which petitioner appeared but the Bank did not appear then Certificate Officer vide order dated 9.4.2015 directed the Bank to comply the order and fixed next date of hearing on 17.4.2015.

A truecopy of order dated 9.4.2015 is annexed herewith and marked as Annexure-' 8' to this application.

22. That the petitioner also gave a petition to District Magistrate, Madhepura on 9.4.2015 stating therein that the Respondent No.2 has seized his truck

Truck in illegal manner without giving any copy of seizure list or receipt and kept the same at Belari Police Station and his Truck has now come in delapidated position and he requested to release his Truck but no step has been taken.

A true copy of representation dated 9.4.2015 is annexed herewith and marked as Annexure-9 to this application.

23. That the petitioner also gave a petition dated 6.4.2015 to Officer-in-Charge, Belari Police Station to release his truck but nothing done.

A true copy of petition dated 6.4.2015 is annexed herewith and marked as Annexure-10 to this application.

24. That the conduct of Respondent No. 2 is arbitrary and malafide who seized the Truck in malafide and arbitrary manner and in spite of the depositing amount and the direction of Certificate Officer the Respondent No. 2 is not releasing the truck.

25. That the petitioner's Truck was kept in open place and its condition has become so bad that its wheel has been rotten, its Battery has been failed, its Engine has come in damage position.

26. That the petitioner's Truck has been seized since September 2014 at about more than seven months and in this circumstances the petitioner is not earning a single farthing and his business has been flopped due to illegal motive of Respondent No.2.

27. That the petitioner and his family members are dependent upon Truck for their livelihood but due to laches of Respondent No.2 the petitioner has come on Road.

28. That the petitioner has no any other alternative and efficacious remedy other than by way of this application.

29. That the petitioner has not moved earlier before Hon'ble High Court for the reliefs as prayed in Para-1 to this application.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application, issue Rule NISI and after hearing the parties be pleased to allow this application and grant reliefs as prayed in Para-1 to this application.

And/Or

Pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT.

I, Surendra Yadav, aged about 50 Years, Son of Jattu Yadav, Resident of Village-Doharwari, Post Office and Police Station Udakishunjanj, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am Petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and the statements of facts made in Paragraph Nos 1 to 7, 9, 11 to 14, 16 to 19 and 21 to 27 are true to my knowledge and those made in Paragraph Nos. 8, 10, 15 and 20 are based upon informations derived from the records of the case which I believe to be true and the rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/photostat copies of their respective originals.

247

01-11-2013

15/04/2015

06/04/2015

आदेश पत्रक

Annex

न्यायालय जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी मधेपुरा

15

आदेश पत्रक सं०
जिला मधेपुरा सं० 01/2013-14
केस का प्रकार नीलाम पत्र काद

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में दिवसीय तारीख
01	02	03
01/03/2014	<p>शाखा प्रकाश एरॉनोव्हाई विहारीगंज (A-M-4)</p> <p>के द्वारा न्यायालय में अधिसूचना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना की गई है कि बैंक व्रण नकाया के बकायेदार श्री सुरेन्द्र झावर प्रेसकीज्डू भादव भा. दोष्पारी याता उरामिगुनगंज जिला मधेपुरा से नकाया की राशि सूद कोर्ट की स्थाप आदि की राशि की वसूली विहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम के अन्तर्गत किया जाय। पत्र अधिसूचना पत्र का अवलोकन किया। स्पष्ट प्रतीत होता है कि बकायेदार श्री सुरेन्द्र भादव से बैंक व्रण न सूद + कोर्ट की आदि का 1,5,68,232 = 96 विहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 1914 के अन्तर्गत वसूली करना विधि संगत है। बाबर काद काल प्राप्ति नहीं है।</p> <p>अतः बकायेदार को निरुद्ध राशि वसूली हेतु वाद प्रारम्भ किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि इसे पत्नी - X कृतकर की सूचना सतिफिकेट प्रति के साथ निर्गत करे।</p>	<p>श्री. 01.01.</p> <p>244 1.3.14</p> <p>लेखागित एन शुक्ति</p>



Signature and date 1/3/14

Signature and date 1/3/14

204
15/04/2015

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION & FORMATION DEPT.
MADHEPURA SOORE MADHEPURA
COURT FEE

STAMP DUTY
0000.0
RS 00000000
374150
INDIA

4526 9422548

15

अने कवर -1.

आदेश पत्रक

न्यायालय जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी मधेपुरा

आदेश पत्रक सं०

जिला मधेपुरा सं० 01/2013-14

1.3.2014:- शाया प्रबंध एस. बी.आइ. बिहारी गंग {ए. एम. 4} के द्वारा न्यायालय मे अध्यापना के पत्र दाखिल कर प्रार्थना की गई है, कि बैंक श्रृणु बकाया के बकायेदार श्री सुरेन्द्र यादव^{सा०} श्री जदु यादव^{सा०} होतारी वार्ड नं० 3 थानस उदाकिचुन मंज, जिला मधेपुरा से बकाया की राशि सुद कोर्ट के स्टाम्प आदिकी राशि कीवसुली बिहार एवं उडीसा लोक भाग अधिनियम के अन्तर्गत किया जाय । प्राप्त अध्यापना पत्र का अवलोकन किया स्पष्ट प्रतीत होता है कि बकायेदार श्री सुरेन्द्र यादव से बैंक श्रृणु जोड सुद जोड कर्षि की आदि नं० 15,68,232.95 बिहार एवं उडीसा लोक भाग अधिनियम 1914 के अन्तर्गत वसुली करना विधित म्मन है।

दाखर वाद काल जाकित नहीहै।

अतः बकायेदार के विरुद्ध राशि वसुली हेतु वाद काम किया जाता है।

अध्यापिका जाताहै कि इसे मंजी -2 कृत कर एम 7 की सूचना की टिपिकेट प्रीत के साथ निर्गत करे अधीन दिनांक को रखे।

हो अस्पष्ट
नीलाम पत्र पदाधिकारी मधेपुरा

कोना से,

Annex-2

16

श्रीमान लोचनदास जयशंकर मधुसूदन,
मधुसूदन

हार्दिक :- श्रद्धा प्रवेष्टक मध्य स्तर में निवेशिका

महाराज

श्री. सुबेन्द्र यादव पिता श्री लालू प्रसाद यादव उक्त
उपनिवेशिका रोडवर्क नामा उपनिवेशिका जिला - मधुसूदन
का निवासी हैं, जो 2011 में मध्य स्तर में उक्त निवेशिका
निवेशिका की शर्तों पर एक एक निवेशिका निवेशिका निवेशिका
का-भ.र. 11.01.9540 है उक्त निवेशिका में निवेशिका निवेशिका
महाराज उक्त उक्त निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका
29219 रॉड एक निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका
की निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका

जिस, श्रीमान से एक निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका
हार्दिक निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका
जिस उक्त निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका
निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका
निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका
2015 तक में निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका
निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका निवेशिका

File-6.12.2014 { आपका निवेशिका
नाम- सुबेन्द्र यादव
जिस- उपनिवेशिका रोडवर्क
नाम- उपनिवेशिका

निवेशिका निवेशिका - 32085990749.

T.C

अ नैकपर -2.

सेवा मे,

श्रीमान लोक अदालत अध्यक्ष महोदय ,

मधेपुरा ।

द्वारा :- शाखा प्रबंधक एम एम. वाइ स्टेट बैंक बिहारी गंज
महाशय ,

मे सुरेन्द्र यादव पिताश्री जदु ५० यादव ग्राम उदाकिगुन गंज
दोहव्याडी थाना किगुन गंज जिला मधेपुरा का निवासी हूँ। मैने
2011 मे ए. एम. वाइ भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिहारी गंज
से बैंक कृपा पर एक ड्रकीलवा था जिसका रजिस्ट्रेशन नं० बीआर .
11एन 9540 है उक्त गाड़ी का मै मासिक किस्त लगातार जमा कर
रहाथा इसी दौरान मेरी पत्नी की तीब्रत लहाब स्पंद क दुर्घटना ग्रस्त
होने के कारण लगभग 6 महीना से मंथली किस्त जमा नही कर पाया ।

अतः श्री मान से मेरा निवेदन है कि बैंक द्वारा जल्द ड्रक के वाता मे
100000 रु० सकलाय रु० जमा करना चाहिता हूँ, और वह अतुरोध करना
चाहिता हूँ कि मुझे गाड़ी वापस देने की कृपा की जाय जिससे मार्च
2015 तक मे अपना और बकाया किस्त जमा कर बेश काभाग बन सकू।

दिनांक 6.12.2014

आपका विश्वासी

नमू सुरेन्द्र यादव

ग्राम उदाकिगुन गंज दोहव्याडी

थाना किगुन गंज

बैंक खातासं० 32085990749

Anuex 3

17

सेवा में,

जिला निलाम पत्र पदाधिकारी महोदय,
मधेपुरा-

निलाम पत्र वाद सं० 1 / 13-14 बनाम सुरेन्द्र यादव पे० इट्टू यादव

सा०- उदा विधानमंडल डोहरपाड़ी थाना उदा विधानमंडल जिला-मधेपुरा
द्वारा शाखा प्रबंधक वृ० वि० शाखा ए एम वाई विहारीगंज ।

महोदय,

उक्त बैंक से दूक खरीदने के लिये कर्ज लिया था जिसमें मैं 1255265 बैंक में
जमा कर चुका हूँ । ब्रोड राशि को जमा करने का समय बैंक से माँगा मगर वर्तमान शाखा
प्रबंधक ने मेरे आवेदन और निवेदन को तरजीह नहीं दी ।

यह कि इसके पूर्व भी लोक अदालत में आवेदन दे चुका हूँ मगर शाखा प्रबंधक
ने मेरे वाद में कोई स्वी नहीं ली ।

पिगत 14-2-15 के राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन देकर हमारे कस
का निस्तार करने का आवेदन दिया था ।

अदालत में मेरे सामने मेरा आवेदन शाखा प्रबंधक को हस्तगत करा दिया । मगर
उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ।

मेरा दूक को जबरदस्ती बिना उचित प्राधिकार के पुलिस बल के माध्यम से माह
सितम्बर 20 14 में जब्त कर बेलाड़ी थाना में लजा दिया है । बार बार बैंक जाकर मैं
स्पेशा जमा करने गया मगर शाखा प्रबंधक ने स्पेशा नहीं लिया । एक बार तो मैं धार
लाय स्पेशा लेकर जमा करने विहारीगंज बैंक गया । बैंक में स्पेशा नहीं लिया मेरे जान
पर खतरा हो गया इतनी बड़ी राशि को मैं किसी तरह घर वापस गया ।

यहां यह निवेदन करना उचित समझता हूँ कि मेरे दूक को बिना किसी सुरक्षा
और हिफाजत के केलारी थाना भेरे हैं । लेकिन गाड़ी जब्त करने का रसीद मुझे नहीं
दिखा गया । जप्ती सूची देने की बात मैं बराबर करता रहा मगर इस पर शाखा
प्रबंधक ने कोई ध्यान नहीं दिया ।

यहां यह भी उल्लेख करना न्यायहित में उचित समझता हूँ मेरे उपर निलाम
पत्र वाद प्रीमान् के कोर्ट में लॉम्बक है मगर बिना किसी वैक आदेश के हमारे दूक को
जप्त कर लिया है तथा पैसा जमा न लेता है । और न गाड़ी छोड़ता है ।

यह पिगत 4-5 महीने से मेरा रोजगार बंद है । बिना गाड़ी छोड़े मैं बैंक
के बाँकी स्पेशे अदा करने से लापार हूँ ।

अतः विन्म निवेदन है कि मेरी गाड़ी को छोड़ने का आदेश
अपने स्तर से देने की कृपा करने की दया की जाय । तत्काल मैं छ दों लाख स्पेशे जमा
करना चाहता हूँ इसे अपने खजाने में जमा कर दूक छोड़ने की कृपा की जाय ।

प्रार्थी

सुभाष चन्द्र बोस

17

T.C

अ नंबर -3-

सेवा मे,

जिला निताम पत्र पदाधिकारी महोदय ,

मधेपुरा

निताम पत्र वाद सं 1/13-814 बनाम सुरेन्द्र यादव पी० इन्द्र यादव

सा० उदाक्सुन मंज डोहरवाडी थाना उदाक्सुन मंज जिला

मधेपुरा द्वारा शाखा प्रबंधक कृ० व० शाखा ए० समवाइ बिहारी

मंज

महोदय ,

उक्त बैंक से द्र क करीबने के लिये कर्ज किया था जिसमे मे

1255265 बैंक मे जमाकर चुका हूँ, शोहा राशि को जमा करने का समय बैंक से मंगिा मगर वर्तमान शाखा प्रबंधक ने मेरे आवेदन और निवेदन को तरजीह नहीं दी

यह कि इसके पूर्व भी लोक अदालत मे आवेदन दे चुका हूँ, मगर शाखा प्रबंधक ने मेरे वाद मे कोई रुयी नहीं थी।

विगत 14-2-15 के राष्ट्रीय लोक अदालत मे आवेदन देकर

हमारे केस का निस्तार करनेका आवेदन दिया था ।

अदालत मे मेरे सामने मेरा आवेदन शाखा प्रबंधक को हस्तगत करा दिया । मगर उस पर कोई कारवाइ नहीं कर रहे है।

मेरा

13/11

2.

मेरा ट्रक को जबरदस्ती बिना उचित प्राधिकार के पुलिस बल के माध्यम से माह सितम्बर 2014 में जप्त कर बेलाही थाना में लगा दिया है बार बार बिक्री कर मैं स्वयं जमा करने गया मगर शाखा प्रबंधक ने ^{स्वयं} स्वीकार नहीं लिया। एक बार तो मैं चार लाख स्वयं लेकर जमा करने बिहारी पंज बेक गया। बैंक में स्वयं नहीं हुआ लिया मेरे जान पर खतरा होगा इतनी बड़ी राशि को मैं किसी तरह घर वापस गया।

यहाँ यह निवेदन करना उचित समझता हूँ, कि मेरे ट्रक को बिना किसी सुरक्षा और विफाजत के बेलाही थाना में रखा है। लेकिन गाड़ी जप्त करने का रसीद मुझे नहीं दिया गया। जीप्टसुची देने की बात मैं बराबर खबरता रहा इस पर शाखा प्रबंधक ने कोई ध्यान नहीं दिया।

यहाँ यह भी उल्लेख करना न्यायसिद्ध में उचित समझता हूँ, मेरे उपर निलाम पत्रवाद श्री मान के कोर्ट में लीबत है मगर बिना किसी बिध आदेश के हमारे ट्रक को जप्त कर लिया है, तथापि जमा न लेता है और न गाड़ी छोड़ता है।

यह बिगत 455 महीने से मेरा रोजगार बंद है। बिना गाड़ी छोड़े मैं बैंक के बर्तकी स्वयं अदा करने से लाचार हूँ।

अतः विनम्र निवेदन है कि मेरी गाड़ी को छोड़ने का आदेश अपन स्तर से देने की कृपा करने की दया की जाय। तत्काल में दो लाख स्वयं जमा

13/2

3.

दो लाख रुपया जमा करना चाहता हूँ, इसे अपने खजाने में जमा कर
ट्रक छोड़ने की कृपा कीजाय ।

प्रार्थी

सेवा में,

COURT FEE



Rs. 0000005

JUDICIAL BIHAR

711396 6622

374150

19.2.2015

Handwritten signature and number 18

मधेपुरा.

निलाम पत्र वाद सं० 1 / 13-14 बनाम सुरेन्द्र यादव पे० ब्रट्टू यादव

सा०- उदाकिष्णगंज डोहरवाड़ी थाना उदाकिष्णगंज जिला-मधेपुरा द्वारा शाखा प्रबंधक कृ० वि० शाखा एम वाई बिहारीगंज ।

महोदय,

उक्त बैंक से ट्रक खरीदने के लिये कर्ज लिया था जिसमें मैं 1255265 बैंक में जमा कर चुका हूँ । शेष राशि को जमा करने का समय बैंक से माँगा मगर वर्तमान शाखा प्रबंधक ने मेरे आवेदन और निवेदन को तरजीह नहीं दी ।

यह कि इसके पूर्व भी लोक अदालत में आवेदन दे चुका हूँ मगर शाखा प्रबंधक ने मेरे वाद में कोई रूची नहीं ली ।

विगत 14-2-15 के राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन देकर हमारे केस का निस्तार करने का आवेदन दिया था ।

अदालत में मेरे सामने मेरा आवेदन शाखा प्रबंधक को हस्तगत करा दिया । मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ।

मेरा ट्रक को जबरदस्ती बिना उचित प्राधिकार के पुलिस बल के माध्यम से माह सितम्बर 20 14 में जप्त कर बेलाड़ी थाना में लगा दिया है । बार बार बैंक जाकर मैं स्पैया जमा करने गया मगर शाखा प्रबंधक ने स्पैया नहीं लिया । एक बार तो मैं चार लाख स्पैया लेकर जमा करने बिहारीगंज बैंक गया । बैंक में स्पैया नहीं लिया मेरे जान पर खतरा हो गया इतनी बड़ी राशि को मैं किसी तरह घर वापस आया ।

यहां यह निवेदन करना उचित समझता हूँ कि मेरे ट्रक को बिना किसी सुरक्षा और हिफाजत के बेकारी थाना में रखे हैं । लेकिन गाड़ी जप्त करने का रसीद मुझे नहीं दिया गया । जप्ती सुपी देने की बात मैं बराबर करता रहा मगर इस पर शाखा प्रबंधक ने कोई ध्यान नहीं दिया ।

यहां यह भी उल्लेख करना न्यायहित में उचित समझता हूँ मेरे उपर निलाम पत्र वाद श्रीमान् के कोर्ट में लॉम्बार्ड है मगर बिना किसी वैध आदेश के हमारे ट्रक को जप्त कर लिया है तथा पैसा जमा न लेता है । और न गाड़ी छोड़ता है ।

यह विगत 4-5 महीने से मेरा रोजगार बंद है । बिना गाड़ी छोड़े मैं बैंक के बाकी रुपये अदा करने से लाचार हूँ ।

अतः विनम्र निवेदन है कि मेरी गाड़ी को छोड़ने का आदेश अपने स्तर से देने की कृपा करने की दया की जाय । तत्काल मैं छ दो लाख रुपये जमा कराना चाहता हूँ इसे अपने खजाने में जमा कर ट्रक छोड़ने की कृपा की जाय ।

अन्य बातें कि शाखा के बावजूद शेष रूप में मेरे ट्रक को छोड़ने का आदेश देकर रसीद जारी कर दिया जाय । ताकि मैं अपना कर्ज सही रूप से जमा कर सकूँ ।

प्रार्थी सुरेन्द्र यादव

Handwritten signature

गणेश गुप्त

Handwritten signature and date 15/02/2015

Handwritten signature and date 15/02/2015

GOVT. OF BIHAR REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION, MADHUBHARA SCORE MADHUBHARA COURT FEE AUTHORIZATION No. 2037 STAMP DUTY 00000 BIHAR JUDICIAL 4531 7916 701

Handwritten number 1315

Handwritten notes and initials



Handwritten text at the bottom of the page

19/11/14. अन्तर्गत उपलब्धता / इंडा का Annex-5
 धारा-17 की तैरिका निर्गत करें।
 कार्रवाई दिनांक 28/11/14 को करें।

9
 19

1562
 19/11/14

शि. नि. नि. नि.
 म. य. य. य.

23/15 अन्तर्गत उपलब्धता वाली अन्तर्गत प्रविष्टि
 ने अधिपकता के माध्यम द्वारा उपलब्धता
 शीघ्र कार्रवाई कावेडन घना समर्पित
 किया है। प्रविष्टि के कार्रधिपकता
 में कइ कि बैंक गैरला डाका सिगा
 सुरवा दिने प्रभा के एका के गाडी
 पकड लिया है जो-पाल-पॉन प्रदीह
 में पैमारी थारा में बला है। गाडी
 मय के पकडा गया है मय के गाडी
 पकड के संकेत की गरी दिखाना है।
 रकमा नमूना 2, 40,000 = 2 लाख
 मय करन का मयाल है साथ ही
 स्थान कोष खपले फिरवा करन के
 का कार्रवाई की किया है, पुनः अधिपकता
 है गाडी सुरवा के कार्रवाई पर किया है।

Authorization No. 2037

GOVT. OF BIHAR
 REGISTRATION EXCISE PROHIBITION DEPT.
 MADHEPURA SOE, MADHEPURA

COURT FEE



धुना उपरोक्त संकेत में
 कार्रधिपकता द्वारा इंडा के संबंधित
 कार्रधि कार्रवेडन के कार्रधु के अलावा
 प्रबंध N.M.Y विधापीठ के मयाल
 के साथ उपलब्धता को देर सुरवा के।
 कार्रधि दि 10.3.15 को करें।

2015
 15/04/2015

शि. नि. नि. नि.
 म. य. य. य.

भारत STAMP DUTY
 00000
 374159
 15.1.2015
 BIHAR JUDICIAL
 (527 9720516)

T.C

19

अ नम्बर -5.

19.11.14:- अभिलेख उपस्थापित । फेदर को धारा 17
की नोटिसा निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 28.11.14 को रखा

ह0असपष्ट

जि0 नि0 ष0 पदा0 मधुपुरा

2.3.15 :- अभिलेख उपस्थापित। वा दो अनु0 प्रतिवादी

ने अधिकाता के माध्यम द्वारा उपस्थित होकर आपत्तआवेदन
पत्र समर्पित किया है प्र तिवादी के अधिकाता
ने कहा कि बैंक मनेजर द्वारा बिना
सूचना दिये ऋण के एज मे गाडी
पकड लिया है। जो चारपंच, मीहने
के वेलारी धाना मे रखा है। गाडी
जब से पकडा गया है तब से गाडी
पकडने का रसीद भी नही दिया गया है।
तत्काल ऋण 2,00,000.00 स्वये जमा
करनेका तयार है साथ ही
साथ शीघ्र स्वये विसतवार कर देने का अनुरोध
भी किया है पुनः अधिकाता से गाडी छुडवाने
का अनुरोध किया है।

सुना । उपरोक्त संबंध मे
अधिकाता द्वारा देनदान के संबंधित
आपत्त आवेदन के अतिरिक्त आलोक मे शाका
प्रबंधक ए. एम. वाइ बिहारी धीज के जवाब
के साथ उपस्थित होने हेतु सूचना दे।
अभि0 दि0 10.3.15 को रखा

ह0असपष्ट

2.3.15

जि0 नि0 पदर0 मधुपुरा

10.3.15- अक्रिलेख (अपचायित) उभय पक्ष उपस्थित।
 उभय पक्ष को सुना। उभय पक्ष के बीच बात
 पीर हुआ कि परिवारी ने कहा कि
 मैं नरकाल बैंक में 2,00,000= (दो लाख)
 जपये जमा कर दूंगा। शेष राशि जमा
 करने हेतु मुझे माहवा असाम किस्त
 बॉण्ड दिया जाता है। सभी जपये जमा
 कर दूंगा। नरकाल मेरा पकड़े गये
 एक कोड दिया जाय, यदि एक के
 कमा कर सभी कमा-पुहा होई।
 परिवारी के कहने बाद वादी ने
 परिवारी की बात से सहमत हो गया।
 वादी ने कहा कि बैंक में 2,00,000= (दो लाख)
 जपये जमा कर दी जाए, उप
 के अधिकारी से प्रत्येक एक कोड
 दी जाएगी।

उभय पक्ष उभय पक्ष के सुनने
 के उपरान्त निवेद्य दिया जाता है कि
 इस संबंध में सुप्रीम न्यायालय में
 उपस्थित करके। अगली तिथि
 27.3.15 को रखें।
 15/03/15
 जिन नीर पत्रपत्र
 मध्यपुरा

27-3-15- अक्रिलेख (अपचायित) वादी उपस्थित।
 उपस्थित। परिवारी ने बैंक में दिनांक 12-3-15
 को 2,00,000= (दो लाख) जपये जमा कर
 रसीद का साक्षात्पत्र समर्पित किया है। परंतु
 वादी वाहन को डेरे कंपनी किसी प्रयातकी
 सुप्रीम नही दिया।
 अतः उभय पक्ष में वादी को
 पुनः उपस्थित होके हेतु पत्र भेजे। अक्रिलेख
 दिनांक 4.4.15 को रखें।
 15/03/15



15/04/2015

जिन नीर पत्रपत्र, मध्यपुरा

T.C

अ नैक्चर -6-

10.3.15 :- अभिलेख उपस्थापित। उभयपक्षा उपस्थापित।

उभयपक्षा कौसुना । उभयपक्षा के बीच बात चीतहुआ प्रतीवादी के कडा कि
मे तत्काल बैंक मे 2,00,000 दो लाख रुपये जमा कर हुंगा। प्रोडा राशिया
जमा करने हेतु मुझे माहवार आसान किस्त बांध दिया जाय मे सभी
रुपये जमा कर हुंगा। तत्काल मेरा पकडे गये
ट्रक छोडीदिया जाय , ताकि ट्रक सेकमा कर सभी श्रण चुका सकूं।
प्रतिवादी के कडने बाद वादी ने प्रतिवादीकीबात्से सहमत हो गया
वादी नेकडा कि बैंक मे 2,00,000 दो लाख रुपये जमा कर दिजिए उपर के
अधिकारी से पुछ कर ट्रक छोड दी जायेगी।

उपरोक्त उभयपक्षा के सुनने केअरति निदेशा दिज दिया
जाता है कि इस संबंध मे सूचना न्यायालय मे उपलब्ध करावे।
अगली तिथि 27.3.15 को रहे।

ह0अपष्ट

10.3.

जि0 नी0 प0 पदा0 मथुरा

27.3.15 :- अभिलेख उपस्थापित। वादि अस्थापित। प्रतिवादी

उपस्थापित प्रतिवादी ने बैंक मे दिनांक 12.3.15
को 28 2,00,000 दो लाख रुपये जमाकर रसीद का
छाया प्रति समर्पित किगहे परंतु वादी काहववाहन छोडने संबंधी
किसी प्रकार की सूचना नही दिया ।

अतः उक्त संबंध मे वादीको पुनः उपस्थित
होने हेतु पत्र भेजे। अभिलेख दिनांक 9.4.15 को रहे।

ह0अपष्ट

27.3.

जि0 नी0 प0 पदा0 मथुरा

27.3.15 :- अशोक उपस्थापिता वादी अशुभी स्यात्। प्रतिवादी
उपस्थित प्रतिवादी ने बैंक मे दिनांक 12.3.15
को 28 2,00,000 दो लाख रुपये जमाकर रसीद का
छाया प्रति समर्पित किया है परंतु वादी का हिसाबान छोडने संबंधी
किसी प्रकार की सूचना नहीं दिया ।

अतः उक्त संबंध मे वादी को पुनः उपस्थित
होने हेतु पत्र भेजे। अशोक दिनांक 9.4.15 को रहे।

80अपस्ट

27.3.

जि० नो० प० पदा० धर्मेरा

21

224 Annex-2 Sours
न्यायालय, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा।
पत्रांक..... 30 / नी0 प0।

(10)

प्रेषक,

जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,
भा0 स्टेट बैंक(ए0एम0वाय0)
बिहारीगंज।

मधेपुरा, दिनांक 27.3.15

विषय-
प्रसंग-

उपस्थित होने के संबंध में।
इस कार्यालय के पत्रांक 20सपत्र/नी0प0 दिनांक 02.03.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा दायर नीलाम पत्र वाद सं001/2013-14 के बकायेदार श्री सुरेन्द्र यादव पिता-जट्टू यादव, सा0- उदाकिशुनगंज, दोहटवाड़ी ने इस न्यायालय में दिनांक 10.03.2015 को आपके बीच हुए समझौते के आधार पर मो0 2,00,000.00 (दो लाख) रुपये आपके बैंक में जमा कर दिया है। बकायेदार और आपके बीच हुए समझौते में बकायेदार को आश्वासन दिया गया है कि बैंक के वरीय पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर बकायेदार के जब्त वाहन को छोड़ दिया जाएगा। इस काम में बकायेदार की जब्त वाहन को छोड़ने की कौन सी कार्रवाई की गई न्यायालय, जिला नीलाम पत्र, मधेपुरा को अवगत कोई सूचना प्राप्त नहीं है, जो खेद का विषय है। वही बकायेदार का जब्त वाहन ब्यवसायिक वाहन है।

अतः इस संबंध में जो भी कहना है दिनांक 09/04/2015 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

27/3/15
जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी
मधेपुरा।

Authorization No. 2037

COURT FEE

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION DEPT. & ROBERTSON DEPT.
MADHEPURA SCORE MADHEPURA



30 दिनांक 27.3.15
ज्ञापक प्रबंधक, अग्रणी बैंक, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

15/04/2015

27/3/15
जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी
मधेपुरा।

भारत
STAMP DUTY
0 0 0 0 0
000003
15.4.2015
Bihar
JUDICIAL
4533 85 18624

Shakunika
15/04/2015

9/4/15. ^{मसख-8} अतिरिक्त उपस्थित, वादी अनुपस्थित।
 प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के
 पत्रांक 30/नरिप, दिनांक 27.3.15
 के द्वारा वादी को स्वयं इस न्यायालय
 में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने
 हेतु सूचित किया गया था। परन्तु
 वादी ने उपस्थित न होकर ही कोई
 पक्ष रखा है। इससे स्पष्ट होता है
 कि न्यायालय के आदेश का कोई
 अनुपालन वादी द्वारा नहीं किया
 गया। अतः सुनवाई की अगली
 तिथि दिनांक 19/04/15 को रखी।

Noble
 9/4/15
 जिनकी पक्ष
 मसख



Sd/-
 15/04/2015

Shakur
 15/04/2015

223

T.C

अ नैक्वर -8-

9.4.15 :- अभिलेख उपस्थित उपस्थापित । वादी अनुपस्थित ।
 प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के
 पत्रिक 20 / नी0 प0 दिनांक 27.3.15
 के द्वारा वादी को स्वयं इस न्यायालय
 में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने
 हेतु सूचित किया गया था परंतु
 वादी ने उपस्थित हुआ ही कोई
 पक्ष रखा है। इससे स्पष्ट साबुत होता है
 कि न्यायालय के आदेश का कोई
 अनुपालन वादी द्वारा नहीं किया गया ।

अतः सुनवाई की अगली
 तिथि दिनांक 17.4.15 को रहे।

ह0अस्पष्ट

9.4.15

जि0 नी0 प0 बदा0 मधेपुरा

Amx 9

28
24

सेवा में,
श्रीमान् जिला पदाधिकारी,
जनता घरबार मधेपुरा ।

विषय: शाखा प्रबंधक, भाउस्टेट बैंक & ए.एम.वाई. विद्यार्थीगण द्वारा
नीलाम पत्र 1/2013-14 के बावजूद भी जयरदस्ती अस्वामि अधिकार
के साथ पोस्तपार खाना के बीच स्नोस्व0106 पर से ट्रक छीन कर
बैलाड़ी थाना के पास पिना सिविलीस्ट के अपने सबंधी के यहाँ रख व
मनमानी ढंग से ट्रक नहीं छोड़ने के संबंध में :

महोदय,

सविनय नम्र निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत के माध्यम से भी समझौ
करने का प्रयास किया लेकिन शाखा प्रबंधक न समझौता विश्वास को न गाड़ी छो
के तैयार हुआ ।

यह कि प्रार्थी नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा के यहाँ आवेदन दिर
ती मान्य पदाधिकारी ने नोटिस देकर शाखा प्रबंधक, विद्यार्थीगण को 10.2
को बुलाये तथा समझौता हुआ कि दो लाख रुपया जमा करने पर छोड़ दे
जिसके लिये प्रार्थी ने लोगों से धर्म लेकर दिनांक 11.3.15 को 12.3.15 ई0 व
विद्यार्थीगण बैंक में दो लाख रुपया जमा कर चुका है फिर भी ट्रक नहीं छोड़ा
ती पुनः नीलाम पत्र पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दिरती दुःभाव से करने के
भी नहीं छोड़ा ।

यह कि प्रार्थी जगत बैंक से पन्द्रह लाख रुपया लोन लेकर ट्रक खरीदा व
तथा करीब बारह लाख रुपया जमा कर दिया है इसके बावजूद भी 11 तिसम्बर

20
25

2014 ई० से टूक जप्त लिये हुए है जिससे प्रार्थीका परिवार भुखमरी

के कारण पर है तथा टूक भी रख रखाव के अभाव में सड़ रहा है ।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक
रामपुराई बिहारगंज को आदेश दिया जाय कि प्रार्थी का
गाड़ी छोड़ दे जिसके लिये प्रार्थिसदा धनित रहेगा ।

श्रीमानका पितावादी

सुरेन्द्र यादव पौ० श्री जटु यादव
सा० उदाकिशुनगंज छहवाड़ी थाना
उदाकिशुनगंज जिला मधेपुरा

दिनांक 9-4-15 ई०

सेवा में
श्री मान धाना-अध्यक्ष, केवारी धान

विषय:- B.R. 11.11 (9540) दूक 10-चक्का
को जप्त करने की लिखित, श्री पुचराल
आवेदन।

मान्यता-केवारी
पुचराल
Phone No 8294999856
Agent गुड्डु सिंह
केवारी-

सूचोदय।

मेरा उपरोक्त, कृषि विकास बैंक
के द्वारा प्रबंध विद्यार्थी गंज द्वारा जप्त कर
आपके धान में रखा गया है। मुझे गाड़ी के
जप्त की खेपपी को ई कारजाल नहीं हुआ
गया था। इसके लिखित में मैंने धान में रखे
गाड़ी की रसीद बैंक के पत्र से मांगा मग।
उन्होंने कोई रसीद नहीं दी।

अतः श्री मान से निवेदन है कि
आपने धान आगिजरेव को देख कर मेरे
गाड़ी जप्त करने का ली लिखित की
जानकारी दी जाय, इसके लिखित में सब
आभासी बना रहेगा।

विशाल-मान
दूर 5155
अध-वाप
34-मि...
5/5/15

Tic

~~25~~
26

अ नैकचर - 28-10

सेवा मे,

श्री मान थाना अध्याक्ष , बेताररी थाना।

विषय :- बीआर 11 एम १ 9540 १ ट्रक 10 पक्का को जप्त करने के तिथि की सूचना हेतु अवेदन ।

महोदय ,

मेरा उरोक्त कृषि विकाश बैंक केशाया प्रबंध बिहारी गंज द्वारा जप्त किए आपके थाना मे रखा गया है। मुझे गाड़ी के जप्त संबंधी कोई कागजात नहीं दिया गया था। इसके लिये मैंने थाना मे रये गये गाड़ी की रसीद बैंक के पदा० से मंगला मगर उन्होंने कोई रसीद नहीं दी।

अतः श्री मान से निवेदन है कि अपने थाना अभिलेख को देख कर मेरी गाड़ी जप्त करने का सही तिथि की जानकारी दी जाय , इसके लिये मैं सदा आभारी बना रहूंगा।

विशवास भाजन

ड० सुरेन्द्र यादव

डोहर वारी उदाकिशुन गंज

6-4-15

27-3-15. आधिकारिक अपवाचन। वादी (अपवाचन) प्रतिकारी
 उपवाचन। प्रतिकारी ने बैंक में दिनांक 12-3-15
 को 2,00,000 = ५५ (एक लाख) रुपये जमा कर
 एसीए का खाता प्रतिकारी समर्पित किया है। परन्तु
 वादी वाहन छोड़ने संबंधी किसी प्रकार की
 स्वीकृति नहीं दिया।

अतः अपर कंपनी में वादी को
 पुनः उपवाचन छोड़ने हेतु पत्र भेजा। आधिकारिक अपवाचन
 दिनांक 4-4-15 को 2 वर्षों।
 मि. श्री. पं. व. पं. म. पं. उ. म.

15/04/2015

